



Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)
(See Rule 4)

Continuous Khatian

Anchal- धनबाद Rev P.S- झरिया State of- झारखण्ड Police Station- झरिया R.T.No 9 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
44	भोलानाथ मंडल , पिता-नकुल मंडल, जाति- . एवं मंटु मंडल , पिता-नाजीर मंडल, जाति- सुड़ी	126		0 ऐ	40 डि	0 ऐ	0		1 / 44
44	तिरजा देवी , पति-कपिलदेव प्र० मोदी, जाति- .	126		0 ऐ	3.13 कठा	0 हे	2	Nide M/C cese n0 - 3195 { ii } 2011-12	1 / 137
44	शीला देव , पति-ब्रह्मदेव प्र० गुप्ता, जाति- .	126		0 ऐ	2.38 कठा	0 हे	3	Nide M/C cese n0 -3208 { ii } 2011-12	1 / 138
44	बीना गुप्ता , पति-अनिरुद्ध साब , जाति- .	126		0 ऐ	3 कठा	0.16 हे	3	दाखिल खारिज केस न 2714(II)06-07	1 / 237
44	मनीष कुमार , पिता-दिलीप कुमार सिंह , जाति- राजपुत	126		0 ऐ	4.95 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 448/2017 - 2018	2 / 3
44	ओम प्रकाश साब , पिता-सागर लाल साब , जाति- .	126		0 ऐ	0 कठा	0.08 हे	2	Vide M/c No 1921(II)07-08	2 / 35
44	गोपाल कुमार , पिता-अशोक कुमार , जाति- .	126		0 ऐ	0.92 डि	0 हे	4	Vide M/c No 1162(II)07-08	2 / 59
44	प्रभात चन्द्र भूषण , पिता-अनिरुद्ध साब , जाति- .	126		0 ऐ	4 डि	1.45 हे	3	Vide M/c No 2631(II)06-07	2 / 77
44	जय नाथ शर्मा , पिता-स्व नगीना प्रसाद शर्मा , जाति- .	126		0 ऐ	1.65 डि	0 हे	2	दाखिल खारिज केस न 83(II)15-16	2 / 112
44	ललीता देवी , पति-राजेन्द्र प्रसाद यादव , जाति- .	126		3 कठा	9 छ	33 वर्गफीट	2	दाखिल खारिज केस न 553(II)05-06	2 / 203
44	VINA DEVI BARNWAL , पति-JANARDHAN BARNWAL, जाति- बनीया	126 126		0 ऐ 0 ऐ	4.95 डि 4.95 डि	0 हे 0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1516/2017 - 2018	10 / 5
44	माधुरी गुप्ता , पति-अनिल कुमार गुप्ता , जाति- ----	126		0 ऐ	4.52 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 813/2018 - 2019	10 / 13
44	अनीता गुप्ता , पति-अनन्त कुमार , जाति- --	126		0 ऐ	4.95 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1705/2018 - 2019	10 / 15

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

4/6/2019

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।